

इस साल भूदान में गणसेवकत्व की शोध हुई ।

.... में कई कार्यकर्ता इकट्ठे होकर लोगो के पास पहुंचकर दान मांगते हैं । यह उनका व्यापक प्रयोग शुरू हुआ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से नये लोगो को मौका देने के लिए वहाँ पुराने नेता उसमें शामिल नहीं हैं । मतलब नये-बनाये नेता काम में नहीं आते हैं और नये नेता एकदम बनने नहीं हैं, तो छोटे-छोटे कार्यकर्ता काम करते हैं तो उन लोगो ने सामूहिक तौर पर काम करना शुरू किया है । गणसेवकत्व बढ़ा सकता होता है, ऐसा अनुभव आया है । वहाँ के जो कार्यकर्ता हमने मिले थे, हमने देखा कि उनका आत्मविश्वास खूब बढ़ा है । इस तरह से जनशक्ति के जरिये काम हो सकते हैं, व्यक्ति के नेतृत्व के अभाव में भी गणसेवकत्व सफल हो सकता है, यह गये साल में सिद्ध हुआ ।

--विनीषा

१ सामूहिक पदयात्राओं की आवश्यकता

हिंदुस्तान में भूदान यज्ञ को आरंभ हुए पांच वर्ष से अगि हो गए हैं। अब देश में हजार-दो-हजार कार्यकर्ता पूरा स देकर काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उत्साह से आंदोलन में आते हैं। चांडिल में, बोधगया में-या पुरी में आवाहन हुआ, विनोबाजी का या जयप्रकाशजी का भाषण सुना, भूदान-यज्ञ का अच्छा साहित्य पढ़ा और इसके फलस्वरूप भूदान-यज्ञ में काम करने की इच्छा हुई। काम भी उत्साह से कुछ दिन किया। लेकिन काम में प्रगति नहीं हो रही थी। जयप्रकाशजी, शंकर-रावजी, संत तुकड़ोजी आदि महानुभावों के दौरे करवाए। उससे काम में कुछ गति आई। लेकिन ज्योंही उनके दौरे समाप्त हुए, त्योंही साधारण कार्यकर्ता और गहरी निराशा में डूब जाता था। भूदान प्राप्त करना केवल बड़े आदमी का ही काम है अंसी प्रतिक्रिया उसके दिलपर होती थी। राजनैतिक पार्टी के लोगों से नगण्व-सी मदद मिलती थी। कभी-कभी विरोध भी होता था। तहसीलों में घूमते-घूमते सप्ताह पर सप्ताह एवं मास पर मास निकल जाते थे। लेकिन भूमिप्राप्ति में, कार्यकर्ताओं को जुटाने में कोई खास प्रगति नहीं होती थी। तब कार्यकर्ता निराश होते थे। तब उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाय ?

वार-वार निष्फल प्रयत्न करने वाला कार्यकर्ता निराशा की आई में तो डूब जाता ही है, साथ ही साथ उससे भूदान के

कामको भी ठेंस पहुंचती है। कार्यकर्ता आनेपर भूमिदान-संपत्तिदान दिये वगैर उन्हें टालने की लोगों को आदत लगती है। सामान्य जनता इस मार्गपर अविश्वास भी करने लगती है। नये कार्यकर्ता आने की हिम्मत नहीं करते हैं और पुराने कार्यकर्ता भी धीरे-धीरे काम छोड़ देते हैं। निष्फल काम करने से इस तरह हालत दिन-ब-दिन बदतर होती चली जाती है। कार्यकर्ताओं में ग्लानि आकर वे जड़ बन जाते हैं। ऐसे अधूरे निष्फल प्रयत्न करने के बजाय कुछ न करना ही अच्छा है।

ऐसी हालत में मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता थे। अन्य स्थानों के भी रहे होंगे। तब १९५३ के अगस्त में मध्यप्रदेश के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हम अकेले-अकेले काम नहीं कर सकते। हम सब मिलकर काम करेंगे। उसके बाद तो १९५४, ५५ में सामूहिक छुटपुट प्रयोग चले। अक्टूबर १९५५ से लगातार सामूहिक पदयात्राएँ हुआं नतीजे आश्चर्यजनक आए हैं।

सामूहिक पदयात्रा वरदान है

तबसे मध्यप्रदेश में सामूहिक पदयात्रा की कल्पना चल पड़ी है। सामूहिक पदयात्रा के लिये २०-२५ टोलियों में बटकर कार्यकर्ता निकल पड़ते हैं। इस कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में नई ज्ञान आई है। अकेलेपन की निराशा की जगह एक नया असाह, आत्मविश्वास और भाईचारा बढ़ा है। सालभर में थोड़ा 'समय देने वाले कार्यकर्ताओं के समय और शक्ति का पूरा लाभ मिल जाता है। भूदान के काम को जन-आन्दोलन का रूप प्राप्त होता है, जनता में आन्दोलन के प्रति थढ़ा बढ़ती है। और एक ऐसा वातावरण बनता है कि आन्दोलन का उपहास करने

चाले गम्भीरतापूर्वक सोचने लगते हैं। इस सामूहिक पदयात्रा के कारण गांव-गाव में भूदान का संदेश पहुंचता है, साहित्य विकता है, भूदान-पत्र के ग्राहक बनते हैं और अच्छी तादाद में भूमि व सम्पत्ति के दानपत्र मिलते हैं। इन सबके अलावा एक अच्छा कार्यकर्ता वर्ग तैयार हो जाता है। उनकी संगठन-शक्ति और बौद्धिक योग्यता बढ़ती है और आगे के काम की जिम्मेदारी उठाने के लिये उनको आगे आने का उत्साह मिलता है। तो यह सामूहिक पदयात्रा क्या है? इस तंत्र को हम जानें। क्योंकि यह एक नई चीज़ है। इसका तंत्र धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। यह बात हमारे साथी श्री. पाटनकर को सूझी, श्री चंद्गुंसिंह नाईक ने लगातार प्रयत्न से इसकी संभावनाओं को प्रकट किया, श्री. आर. के पाटील, श्री बसंतराव बोबटकर, श्री. जसवतराय आदि अनेकानेक साथियों ने इसके भिन्न-भिन्न अंगों को विकसित किया। आज इस प्रयत्न के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में उत्साह की लहर आ गई है। सब कार्यकर्ता इस काम में भिड़ गये हैं। मध्यप्रदेश में गत ८ माह से नागपुर विभाग के १५ कार्यकर्ताओं ने सामूहिक अखंड यात्रा की है। इसलिए इसके तंत्र के तफसील में हम जायें।

१ सामूहिक पदयात्रा का तंत्र

सामूहिक पदयात्रा के लाभ हासिल करने के लिये हमें बहुत बड़े पैमाने पर पूर्वतैयारी की आवश्यकता होती है। जो दीर्घकाल तक कार्यकर्ताओं की निष्ठा, श्रम एवं कुशलता से ही सम्भव हो सकती है। इस प्रकार की पदयात्राओं का कार्यक्रम कम-से-कम एक तहसील याने ३०० गावों में होना चाहिये।

जनसेवकों का सहकार

आज जनसेवक भिन्न-भिन्न पक्ष, पथ में बंट गये हैं लेकिन सब भूदान के लिये अनुकूल हैं। उन सबसे व्यक्तिगत तौर पर अलग-अलग मिलकर उनको एक जगह लाना चाहिये। उन सबका इस काम में सहयोग प्राप्त करना चाहिये।

पदयात्रा संगठन की भूमिका निष्पक्ष और निर्वेत्ता को होनी चाहिये। भूदान आंदोलन पर उसकी अनन्य श्रद्धा हो। सब पक्ष-पथों के बारे में उसके दिल में समान भाव हो। भिन्न-भिन्न पक्षीय कार्यकर्ताओं के प्रति आदर और उनके स्वाभिमान की रक्षा करने की क्षमता उनमें होनी चाहिये तभी सबका सहकार मिलेगा। ऐसे सज्जनों की एक बैठक आमंत्रित करके उसमें निम्न बातें तय करनी चाहिये।

१ पदयात्रा का समय, टोलियाँ निकालने का समय कौनसा रहे यह पहले तय किया जाये। इसके लिये तीन बातें ध्यान में रखनी चाहियें —

(क) पदयात्रा की सफलता जिनपर निर्भर है, ऐसे पाच-मात कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत रूप से वह समय अधिक अनुकूल हो ।

(ख) मस्याओं के अन्तरगत चुनाव या सभा सम्मेलन होते हैं, कुछ बाहरी चुनाव भी होते हैं, पदयात्राओं के लिये ऐसे समय का चुनाव नहीं करना चाहिये ।

(ग) विवाह शादियों के दिन, बोनो या फसल काटने का समय, दिवाली, दशहरा इत्यादि, त्यौहार या मेले उन दिनों में न हो ।

यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, तो सामूहिक पदयात्रा के लिये, पर्याप्त कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, और जब उन गावों में पहुँचेंगे तो लोग अपने ही कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे । और पदयात्रा का हमारा सारा उद्देश्य असफल हो जायेगा । इस दिशा में कार्यकर्ताओं का सूक्ष्म अध्ययन होना चाहिये और अनुकूल समय का फायदा उठाने की कुशलता उनमें होनी चाहिये ।

(२) नेताओं के निमन्त्रण—सामूहिक पदयात्रा की पूर्व-तैयारी, शिविर संचालन, पदयात्रा का उत्थाटन और अन्तिम समारोह के लिये नेताओं की जरूरत होती है । बैठक में सर्व सम्मति से नेताओं के नाम पसन्द करने चाहिये ।

(३) काम का बटवारा—कार्यकर्ताओं की इस बैठक में आपस में काम का बटवारा करके हरेक के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिये । काम का स्वरूप साधारणतया निम्न प्रकार का होता है—

(क) कार्यकर्ता प्राप्त करना—२५ टोलिया निकालने के लिये कम-से-कम पचास पचहत्तर कार्यकर्ता होने चाहिये । इसके

लिखे विभिन्न पक्षवालो से मिलकर उनके कार्यालय से पदयात्रा में हिस्सा लेने के किये कार्यकर्ताओं को अनुरोध-पत्र लिखवाने चाहिये। सयोजक प्रदेश भूदान समिति की ओर से तहसील भर के सब कार्यकर्ताओं को पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिये एक परिपत्र द्वारा आवाहन किया जाये (परिशिष्ट न जनपद, नगरपालिका, हाईस्कूल तथा कालेज के अधिकारियों से मिलकर उनका सहयोग इस काम में प्राप्त किया जाये, स्कूलों में सभाओं का आयोजन कर अध्यापकों व छात्रों को पदयात्रा में भाग लेने के लिये उत्साहित करना चाहिये, इसके लिये प्रभावशाली व्यक्ति को साथ ले जाना ठीक रहता है।

(ख) जनता से सम्पर्क—पदयात्रा के पूर्व बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण गावों में पहुचना चाहिये, वहाँ के जमींदार, बड़े-बड़े किसान, श्रीमान, वकील, डाक्टर तथा वहनो आदि की छोटी-छोटी सभाये लेनी चाहिये तथा उनको विचार समझाना चाहिये और दानपत्र प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। जिन्होंने जमीन दी है उन्हें साथ लेकर अन्य लोगों के पास पहुचना चाहिये। किस तहसील में कौन विरोधी हैं इसकी पूरी जाच कर लेनी चाहिये ताकि पदयात्रा के समय उसका ध्यान रखकर योग्य व्यक्ति वहाँ भेजा जा सके। वातावरण बनाने के लिये अनुकूल गावों के दस-बारह केन्द्र चुनकर वहाँ प्रत्यक्ष दानपत्र डकट्ठे करने चाहिये ताकि धीरे-धीरे तहसील में अनुकूल वातावरण तैयार हो जावे।

(ग) प्रचार कार्य—ठीक ढंग से प्रचार कार्य करनेपर अनुकूल वातावरण बनने में सहायता मिलती है। इसके लिये पूर्व-

तैयारी करने वाले कार्यकर्ताओं के पास भूदान का पूरा साहित्य तथा पेम्फलेट्स होने चाहिये । भूदान समिति के सयोजक जनता के नाम एक निवेदन-पत्र प्रकाशित कर भूदान व सम्पत्ति दान में हिंसा लेने के लिये जनता को प्रोत्साहित करें । बड़े-बड़े नेता भूदान के बारे में क्या कहते हैं इसका भी एक छोटा पेम्फलेट हो । गरीब भी दान क्यों दे, जमीन का बटवारा कैसे किया जाता है, इसके भी परचे छपवा कर देहातो में बाटने चाहिये (परिशिष्ट १, २, ३, ४) तहसील के बाजारों के दिन भी यह काम आसानी से किया जा सकता है । गाव-गाव में दीवारों पर भूदान के घोष वाक्य लिखने चाहिये, स्कूल में जाकर बच्चों को भूदान-गीत पढ़ाने चाहिये और जिस गाव में उत्साही कार्यकर्ता या अध्यापक हो वहाँ भूदान-फेरी निकालनी चाहिये, भूदान-पत्रों के ग्राहक बनाने चाहिये और कुछ अक मुफ्त भी देने चाहिये । कलापथक का देहात में खूब असर होता है । इस प्रकार के नाटक का भी आयोजन करना चाहिये । इस तरह अपनी तहसील में टोलियाँ निकलने वाली हैं, भूदान-यज्ञ का काम शुरू होने वाला है इसकी जानकारी चारों ओर फैल जानी चाहिये ।

(घ) खर्च की व्यवस्था—पूर्वतैयारी के लिये तहसील भर में घूमना, शिविर लेना, पद यात्रा के लिये बाहर से नेता तथा कार्यकर्ताओं को बुलाना, कलापथक, पेम्फलेट, उद्घाटन तथा अन्य समारोहों में तहसील में कम-से-कम एक हजार रुपये का खर्च आ सकता है । इसके लिये बाहर से जो नेता या कार्यकर्ता आते हैं उनका खर्च (साहित्य विक्री) कमीशन या केन्द्रीय संगठन से प्राप्त किया जाये, मोटर वालों से मुफ्त टिकटों का इन्तजाम हो सकता

हैं। शिविर भोजन आदि का खर्च स्थानीय जनता से अनाज और नकद रूपों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार पदयात्रा का उद्घाटन और आखिरी दिन का समारोह जनता के सहयोग से सम्पन्न किया जाता चाहिये, बाहर के पैसों के बल पर काम न किया जाय।

बाहरी कार्यकर्ताओं का सहयोग—२०, २५ टोलियों के लिये एक तहसील में ही सुयोग्य कार्यकर्ता मिलना जरा कठिन होता है। इसलिये तहसील के बाहर के कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ता है। जिन कार्यकर्ताओं को बाहर से बुलाना हो उनको कम-से-कम २१ दिन पूर्व इसकी सूचना देनी चाहिये। पूर्वतैयारी के लिये कम-से-कम ५-६ कार्यकर्ता पूरा समय देने वाले और १५ दिन तक सतत घूमने वाले होने चाहिये।

सावधानी

पूर्वतैयारी करते समय हमें दों वाले विशेष ध्यान में रखनी चाहिये। अनुकूल लोगों की शक्ति का पूरा लाभ उठाना चाहिये। और जो लोग विरोधी हैं उनका कम-से-कम असर हमारे काम पर पड़े। जो विरोध करते हैं या उदासीन रहते हैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की जाय लेकिन उनको अनुकूल बनाने के लालच में ही हम सब शक्ति और समय बरबाद न कर दें इसका भी ध्यान रखना चाहिये।

पूर्वतैयारी कि कसौटियाँ

(१) हर एक टोली में घमने के लिये २।४ याने १०० कार्यकर्ताओं का आश्वासन मिला हो।

(२) खर्च का इंतजाम हो गया हो।

(३) देहातों में सब जगह भूदान की चर्चा लोग कर रहे हों।

(४) कम-से-कम १०० भूदान और १०० संपत्तिदान-पत्र प्राप्त हुये हों।

शिविर

पदयात्रा के पूर्व कम-से-कम दो दिन के शिविर में भूदान के राजनैतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सभी पहलुओं को लेकर विभिन्न वक्ताओं के अध्ययनपूर्ण भाषण हों। वक्ताओं को पहले से उनके विषय (परिशिष्ट ५ देखें) के बारे में सूचना कर देनी चाहिये। शिविर की बौद्धिक चर्चा के कारण नये कार्यकर्ता अच्छे प्रचारक बन जायेंगे। उन्हें व्यावहारिक सूचना भी दें (परिशिष्ट ६)।

टोलियों की छटना

शिविर में आने वाले कार्यकर्ताओं और टोली नायकों की सख्या और योग्यता के अनुसार पदयात्रा के क्षेत्र के देहातों को टोलियों में बांट लेना चाहिये। एक टोली बड़े देहात में एक दिन काम करेगी और छोटे गांव एक दिन में दो, सवरे एक तो शाम को दूसरा। इस प्रकार सप्ताह में कम-से-कम दस स्थानों पर एक टोली घूम सकेगी। प्रत्येक टोली में एक वक्ता और एक उन गावों की जानकारी रखने वाला कार्यकर्ता हो। इसके अलावा एक-एक गाने वाला भी मिल जायें तो ठीक रहेगा। टोली नायक के पास एक आदर्श भाषण की प्रति देनी चाहिये। इससे नये कार्यकर्ता वह भाषण देहातियों को पढ़कर सुनायेंगे। (परिशिष्ट ७)। टोली नायक को जिन गावों में वह टोली घूमने वाली है, उसका एक नक्शा देना

चाहिये, तथा उसको उन देहातो की पूरी जानकारी से वाक़िफ़ करा देना चाहिये, ताकि वह यह जान सके कि कौन अनुकूल है और कौन प्रतिकूल है। टोली नायक को सबसे अनुकूल गाव से अपना काम शुरू करना चाहिये। टोली नायक का चुनाव कुशलता पूर्वक किया जाय। जहा जिसका अधिक अुपयोग हो वहा उसकी योजना करे। बड़े नेताओं के लिये कुछ अलग कार्यक्रम बनाये ताकि अधिक-से-अधिक दानपत्र मिल सके, कार्यकर्ता तैयार हो सके और अच्छा प्रचार हो।

आशीर्वचन

टोलिया जब घूमने के लिये निकले उस वक़्त अेक अच्छा खासा समारोह आयोजित किया जाय। स्थानीय लोगो की अेक आम सभा बुलाओ जाय वहा किसी बड़े नेता का भाषण हो। फिर सभा में पदयात्रियो का कुमकुम-तिलक लगा कर स्वागत किया जाय। नेता द्वारा हरअेक टोली नायक को अेक थैली भेंट की जाय जिममें भूदान तथा सर्वोदय साहित्य, भूदान, सम्पत्ति-दान, जीवनदान अेव साधनदान के दानपत्र हो। भूदान-पत्रो के नमूने के अक, रसीद बुके तथा प्रचार के लिये छपे हुये पम्फलेट आदि हो। अन्त में नेता टोलियो की सफलता के लिये शुभाशीर्वाद प्रदान कर कार्यकर्ताओं को विदा करे।

पटयात्रा

इसके बाद टोलिया अपने नियोजित क्षेत्र में प्रवेश करेगी। गाव में पहुंचते ही भूदान-फेरी निकालकर लोगो को सभा के समय तथा स्थान की सूचना दी जाय। आम सभा में भूदान-गीत तथा भाषणो द्वारा लोगो को विचार समझाया जाय तथा दान

मांगी जाय । जिनसे दान मिला उनको पहुंच देना चाहिये (परिशिष्ट ८ देखें) साहित्य विधी अन्त में हो । फिर गांव में घर-घर जाकर लोगों को समझा कर भूदान-प्राप्ति का प्रयत्न करना, साहित्य वेचना, भूदान-पत्रों के ग्राहक बनाना, मजदूरों की हालत देखना तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं को बुस गांव का भूदान का काम चलाने के लिये तैयार करने का कार्यक्रम रहेगा । गांव में रहने वाले कार्यकर्ताओं को टोली के साथ दूसरे गांव में लेने की कोशिश हो और गांववालों को समारोह में भाग लेने के लिये निमंत्रित किया जाय । हर गांव में क्या काम किया इसका पूरा विवरण टोली नायक को लिखकर रखना चाहिये ।

पदयात्रा समाप्ति समारोह

वाद में टोलियों के कार्यकर्ता अन्तिम दिन फिर नियत समय पर इकट्ठे हों । टोली नायक अपना अहवाल एक विवरणपत्र पर भरकर संगठक को दें (परिशिष्ट ९ देखें) । पदयात्राओं की दौरान में गावों में इस काम का दायित्व लेने की दृष्टि से जिन लोगों को तैयार किया गया हो वे भी स समारोह में भाग लें । सब एक साथ बैठकर अपने-अपने अनुभव सुनायें । पदयात्रा में जो कठिनाइयां या सवाल पैदा हुये हों उनपर चर्चा की जाये ।

आगे के काम का संकल्प

सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं में शिथिलता आने का डर बना रहता है । इसलिये हमारे मनमें यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिये कि सामूहिक पदयात्रा का कार्यक्रम काम को गति देने का कार्यक्रम है । इस दृष्टि से समाप्ति समा-

रोह के दिन जो बैठक चले उसमें आगे के काम की योजना तय करनी चाहिये और उस क्षेत्र के किसी एक भाई पर काम की जिम्मेदारी डालनी चाहिये। बैठक में भूमिप्राप्ति, वितरण, साहित्य बिन्नी, कार्यकर्ता तैयार करने तथा भूदान पत्रों के ग्राहक बनाने आदि के संकल्प होने चाहिये। जीवनदान के लिये कार्यकर्ताओं को आवाहन करने से जीवनदानी मिल जाते हैं।

अनुभव से यह पाया गया है कि सामूहिक पदयात्रा के कारण सब गाँवों का एक नक्शा सामने आ जाता है। कार्यकर्ताओं की परख हो जाती है। और उस आधार पर जो आगे की योजना बनती है वह परिपूर्ण होती है।

आम सभा

इसके बाद इसी दिन एक आमसभा का आयोजन कर सप्ताह भर में जो काम हुआ है उसकी जानकारी लोगों को करानी चाहिये पदयात्रा के लिए जो सच हुआ वह सारा वहाँ पेश करना चाहिए और आगे के काम की रूपरेखा समझनी चाहिये और जनता तथा कार्यकर्ताओं को उसमें सहयोग देने का आवाहन करने के बाद भूदान गीतों और जयघोषों के साथ सभा का विगर्जन करना चाहिये।

३ मध्यप्रदेश में सामूहिक पदयात्रा की प्रगति

सारे देश में पुरी सम्मेलन के बाद बिहार को छोड़कर भूमिप्राप्ति बहुत बड़े तादाद में कहीं हर माह हो रही होगी तो वह मध्यप्रदेश में हो रही है। जहाँका आंदोलन आगे बढ़ा हुआ माना जाता है ऐसे ही प्रदेशों के आंकड़े निम्न हैं :—

ता.	३१-३-५५	३०-४-५६	वृद्धि
हैदराबाद	१०६०००	१०९०००	३०००
उत्तरप्रदेश	५४२०००	५,८१,०००	३९०००
उत्कल	१४१०००	२,५५,०००	१,१४००० [स्वयं विनोबाजी की पदयात्रा थी।]
मध्यप्रदेश	९९०००	१,६०,०००	६१०००
गुजरात	३७०००	४४,०००	७०००
केरल	२८०००	२९०००	१०००

सामूहिक पदयात्रा के पहलें हमारे प्रांत कि स्थिति क्या थी ? कई तहसीलों में एवं जिलों में भूदान-प्राप्ति शून्य सी-थी। निम्न आंकड़ों से इसका पता चलेगा। जहाँ-जहाँ बड़े नेताओं का दौरा हुआ वहाँ कुछ प्रगति देखेगी, जैसे :—

जिला	अक्तु. ५४ में	अक्तु. ५५ में	अभिप्राय
१. भंडारा	९६६	१२५४३	संत तुकड़ीजी के दौरे में १४०० एकड़ मिली।

२ चर्धा	७१९३	८२६५	जयप्रकाशजी एव सत तुकडोजी के दौरे में ५०० एकड़ मिली ।
३ चादा	१२३०	३०६७	तुकडोजी महाराज के दौरे में मिली ।

जहा बड नेताओ का दौरा नहीं हुआ है वहा की हालत निराशाजनक थी ।

कई तहसीले एव जिले ऐसे है जहा सालभर में कोई प्रगति नहीं हुई --

	अक्टूबर ५४	अक्टूबर ५५
नागपुर तहसील	६३७ अकड़	८१०
रामटेक "	१३४९ "	१५४६
सावनेर "	५११ "	५५६
अचलपुर "	११६ "	१९१
चिखली "	२४ "	२४
मलकापुर "	११८ "	१३४

सारे मध्यप्रदेश में ६५०००--पुरी सम्मेलन तक ९९००० वृद्धि ३४००० मध्यप्रदेश में सारे प्रदेश में सामूहिक पदयात्राओं का तत्र पुरी से शुरू हुआ और जोर-शोर से अक्तु. ५५ से शुरू हुआ । इसी कारण १ साल में यह आकडा ९९००० से १,६०,००० तक पहुचा । इस वर्ष सत तुकडोजी महाराज, जयप्रकाशजी, शकरराव देव आदि किसी भी बडे नेता वा भूमिप्राप्ति के लिए दौरा मध्यप्रदेश में नहीं हुआ । प्रात के बडे नेताओ ने ही १९५४ में जितना समय भूदानयज्ञ के लिए दिया था उतना भी नहीं दिया । पर सारी जमीन छोटे-छोटे धार्यकर्ताओं ने प्राप्त की है ।

सामूहिक पदयात्रा के कारण मिली जमीन

नाम	अक्तु० ५५ (प्राप्ति अंक)	मार्च ५६ (प्राप्ति अंक)
नागपुर जिला	५२१६	६८३६
भंडारा ,,	२५४३	३६००
वर्धा ,,	८२६५	१२५००
नागपुर तहसील	७१०	९५९
रामटेक ,,	१५४६	२३२०
सावनेर ,,	५५६	११५३
हिंगणघाट ,,	९६६	२१६३
आर्वी ,,	२२३९	५३००
ब्रह्मपुरी ,,	२८१	८००
यवतमाल ,,	२८०००	३९०००
जबलपुर जिला	१२०००	२७०००

अब यह सामूहिक पदयात्रा का सिलसिला मध्यप्रदेश के कोने-कोने में चल पड़ा है। अब आगे की प्रगति और भी ठोस होगी ऐसी सबको आशा बंध गई है।



४ कार्यकर्ताओं से

शिविर में कार्यकर्ता आनेपर उन्हें भूदान के सब पहलुओं से परिचित कराया जाय । इस शिविर का एक अभ्यासक्रम ही रखा जाय । उसके साथ सबको गाने की तालीम दी जाय । हर एक कार्यकर्ता को भूदान के गाने शिविर में सिखाने चाहिये । इसलिये शिविर में सामुहिक भूदान-गीत गाने का अभ्यास कम-से-कम दो घंटों का रखा जाय । इससे कार्यकर्ताओं की उमंग बढ़ती है और वातावरण भी उत्साह से भर जाता है । वैसे ही नये कार्यकर्ता को भाषण देने की तालीम दी जाय । भाषण में कौन-सी बातें आनी चाहिये यह हम उन्हें समझावें । नये लोगों के भाषण भी करवाए जाय । इसके लिये एक स्टैंडर्ड भाषण हमारे पास हो (परिशिष्ट ८ देखें) । उसके आधार पर देहात में जाकर नये कार्यकर्ता भाषण देंगे । शिविर में थोड़ी-सी तालीम मिलने के कारण और देहात में भाषण देने का अभ्यास बढ़ने के कारण कार्यकर्ता जल्द ही अच्छा भाषण देने लगता है ।

ऐसे जो कार्यकर्ता प्रचार के लिये जायेंगे उनको शिविर के सचालक भाई के द्वारा निम्नलिखित बातों से परिचित कराया जाना निहायत जरूरी है । भूदान का तत्वज्ञान तो समझा, लेकिन उसपर अमल करने का तरीका भी कार्यकर्ता को सघना चाहिये । ज्ञान और कला मिलाकर पूर्णता आती है ।

निम्न वातो पर ख्याल देना निहायत जरूरी है ।—

सबके लिये समभाव

भूदान आदोलन किसी एक पक्ष का आदोलन नहीं है । भिन्न-भिन्न राजनैतिक संस्थाओं में काम करने वाले, भिन्न-भिन्न धर्म को मानने वाले, भिन्न-भिन्न सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले इस आदोलन में हिस्सा ले सकते हैं । यह सबका अपना माना गया आदोलन है । सबका यहाँ स्वागत है । लेकिन यहाँ आनेपर अन्हें अपना-अपना कुछ लेबल भूल जाना चाहिये । हम केवल मानवमात्र हैं और मानवता की सेवा करने के लिये आये हैं ऐसा वे समझें ।

भूदान का मंच सब पक्षभेदवालो को आपस में प्रेम से मिलने का एक पवित्र स्थान है । उसे हम पक्षगत प्रचार से गदान करे । इससे वे आत्मस्तुति और परनिंदा से बचेंगे । सीमित दायरे के बाहर आकर जनता से एकरूप हो सकेगे । सबके विश्वासपात्र बनकर सबका सहयोग प्राप्त कर सकेगे । इस तरह अहंकार छूटने से—भूदानमय होने से—वे अजातशत्रु बनेगे ।

२. कार्यकर्ता के मन में आस्तिक भावना होना निहायत जरूरी है । हरएक मनुष्य-मात्र में सद्भावना होती ही है ऐसा विश्वास दिल में रखकर कार्यकर्ता दान के लिये आवाहन कार्यकर्ता के दिल में जितनी लगन होगी, उसका चरित्र जितना उज्ज्वल होगा और लोगों के साथ घुलमिल जाने की शक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ही वह अपने कार्य में यशस्वी होगा । आत्मविश्वास के साथ वह काम करे । सामने वाले के वारे में विश्वास और अपनी बात की सचाई में—सामर्थ्य में—विश्वास यह सकल कार्यकर्ता का सर्वप्रथम लक्षण है ।

३. हर गांव में सभा हो

सर्वोद्य की भावना लोगो में फैलानी है । जमीन का चदा इकट्ठा करना नहीं है । आम सभा विचार-प्रचार का सर्वोत्तम साधन है । अनपढ़ होने के कारण आम लोग किताबे नहीं पढ़ सकते हैं । आम सभा से ज्यादा-से-ज्यादा लोगो के पास थोड़ी अवधि में पूरा विचार जाता है । सभा से गरीबो में जागृति पैदा होती है और भूमि वाले भाई के दिल को छूने का मौका मिलता है । अन्याय को आमसभा में प्रगट करने से पीडित लोगो की हिम्मत बढ़ती है । अन्याय के खिलाफ एक नैतिक शक्ति खड़ी होती है । इसलिए कुछ श्रीमान् एव राजनीतिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि गाव में सभा न हो । लोग जितने दिन तक अधरे में, अज्ञान में रहेंगे उतना इनका सघता है । वे कहते हैं हम आपको जमीन देंगे, लेकिन हमारे गाव में सभा मत लोजिये । इससे लोगो में जागृति पैदा होगी । ऐसे समय जो कार्यकर्ता सभा नहीं लेते हैं और जमीन मिलने से ही काम हो गया ऐसा मानते हैं वे रिश्वत लेते हैं । हमको शोषणरहित समाज का आदर्श जनता के सामने स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिये । हमारा मुख्य शस्त्र विचार-प्रचार है । विचार समझे बिना मिली हुई जमीन किस काम की ?

गाव में गुटबंदियाँ होती हैं । स्पृश्यास्पृश्य भेद-भावना होती है । इसलिए सभा ऐसी सार्वजनिक जगह लेनी चाहिये जहाँ सब जाति के लोग, सब गाव वाले स्त्री-पुरुष बिना सकीच आ सकें । सभा दुलाने का काम खुद कार्यकर्ता को करना चाहिये । गाव के मुखिया के भरोसे सभा नहीं छोड़नी चाहिये । गाव के स्कूल में जाकर विद्यार्थियों को गीत सिखाकर, नागरिकों की ओर

विद्यार्थीओं की फेरी निकालकर सभा की डुग्गी भूदान कार्यकर्ता खुद द। आमसभा शुरू होने के पहले ही गाव के जो अनुकूल और सज्जन आदमी होंगे—भले ही वे गरीब हों—उनसे कार्यकर्ता मिलें और उनको दान देने के लिये प्रवृत्त करें। आमसभा में यदि गाव का श्रीमान् या मुखिया दान नहीं देता है तो गरीब लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं। इसलिये पहलेसे ही यदि ऐसे दाता तैयार करके रखें तो सभा में आवाहन होने पर अन्य अनुकूल लोग—मुखिया या श्रीमान् के न देने पर भी—अपना दान जाहीर करते हैं। और फिर दूसरे लोग भी दान देने की हिम्मत करते हैं।

सभा की शुरुआत गाने से हो। लोगों को विचार समझाने के बाद भूदान के पावन प्रसंग सुनाने चाहिये। उस इलाके के, उनके पड़ोसी लोगों के गाववालों के—दान के प्रसंग उनके सामने रखने से वे ज्यादा प्रभावित होते हैं और आवाहन करने पर विश्वासपूर्वक दान देते हैं। इस तरह कार्य करने से हर एक सभा में दान मिल ही जाता है। यदि सभा सफल रही तो दान मिलता है और गाव में खूब अच्छा काम होता है। सभा के अंत में हम गीत गाये और धोप करें। बाद में साहित्य विक्री करनी चाहिये।

(४) सभा में दान मागनेपर गाव का काम पूरा नहीं होता है। सभा में विचार समझने पर दान देने की कईओं की इच्छा होती है। लेकिन उनको कुटुंब के अन्य सदस्यों की सम्मति की जरूरत होती है। कई व्यावहारिक दिक्कतें उनके सामने आती हैं। कोई सकोच के कारण अपनी शका आमसभा के सामने नहीं रखना चाहते हैं, कोई गुप्त दान करना चाहते हैं,

कोई सभा में गैरहाजिर ही रहते हैं। जिस प्रकार कई तरह के लोग बच जाते हैं। उनसे घर-घर जाकर मिलना चाहिये। अनुभव तो यह है कि सभा के दान से दुगुना तिगुना दान बाद में घर-घर जानेपर प्राप्त होता है। सभा में व्यापक काम होता है और घर-घर जाने से वह गहरा होता है।

गाव में दान मागने के लिये जाने के समय किसी के बारे में पूर्वगृह बनाकर नहीं जाना चाहिये। कई कजूस माने जाने वाले दान देते हैं। गाववालों के द्वेष मत्सर का हम हमारे ऊपर असर न होने दें। हरएक के घर प्रेम से जाना चाहिये। कार्यकर्ता को अपना मन स्थिर रखना चाहिये। काफी कटुप्रसंग निराशाजनक अनुभव आयेंगे। लोग गालियाँ भी देंगे। खास करके आजकी सरकार और राजनैतिक पक्षोंपर लोग काफी कटु आलोचनाएँ करते हैं। हमको भी उसमें घसीटने का प्रयत्न करते हैं। हम यह शांति से सहन करें। और प्रेम से हमारी बात सुनकर समझावे। विनोबा जी कहते हैं 'जो देता है उसे अंक नमस्कार, और नहीं देता है उसे दो नमस्कार करो'।

गाव में दान मागने के लिए कार्यकर्ता को अफेले नहीं जाना चाहिये। माय म गाव वालों को लेना चाहिये। जो कोई दान देता है उसे साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिये। थोड़ी ही देर में गाव वाले बोलने लगते हैं। ज्यादासे-ज्यादा लोगों से दानपत्र मिलाने की भावना उनमें निर्माण होती है। और जबतक गाव में सब लोग दान नहीं देते तबतक उन्हें चैन नहीं मानूम होती है। दाना को कार्यकर्ता चनाने पर यहाँ मौजा है। श्रममें गाव में बड़ा अच्छा वातावरण पैदा होता है। जब २०१५ दाना दान मागने के लिये गाव को

गली-गली में घूमकर घर-घर जाते हैं तब बड़ा आनंद आता है । ऐसे दाता की टोली को टालने की कोई किम्मत नहीं करता है । गाव में आदोलन-सा निर्माण होता है । आदोलन जनता के हाथ में देने का यह एक बढ़िया तरीका है ।

जिस गाव में हम काम करते हैं उस गाव के काम की नोट तैयार की जाय । कौन कार्यकर्ता है, सभा में कितने लोग आये, कितने लोगो ने दान दिया, गाव में कितने लोगो से मिले, किसने क्या जवाब दिया, किमने ज्यादा किताबें खरीदी यह सब हम नोट में लिखें । इससे आगे के काम की योजना बनाने में सुविधा होगी और दुबारा उस गाव में काम करने के पहले पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा । घर-घर जाते वखन साहित्य खूब बेचे, भूदान पत्र के ग्राहक बनाये ।

(५) भूदान-पत्र और साहित्य प्रचार

भूदान आदोलन की सारी दारोमदार विचार परिवर्तन पर है । भूदान पत्र हमारा सर्वोत्तम साहित्य है । उसका सर्व-प्रथम प्रचार होना चाहिये । किताबें तो पुरानी हो जाती हैं । अकेवार खरीदने के बाद बढ़ करके भी रख देने का डर रहता है । लेकिन भूदान-पत्र तो हर हफ्ते जाता है, खटखटाता है । उसमें नित्य नये विचार आते रहते हैं । और विविध लेखकों द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टि से सब पहलुओपर प्रकाश डाला जाता है । कार्यकर्ता बार-बार तो नहीं जा सकता । उसकी शक्ति भी सीमित होती है । लेकिन भूदान-पत्र के द्वारा हर हफ्ता पू. विनोबाजी, जयप्रकाशजी आदि बड़े नेता ही मानो ग्राहक से मिलने जाते हैं । देशभर की महत्वपूर्ण घटनायें उसमें होती हैं

जिससे जनता और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। पत्रद्वारा कार्यकर्ता को शिक्षा मिलती है। जनता को कार्यक्रम दिया जाता है। आंदोलन को ठीक दिशा में मोड़ने में और आंदोलन का संचालन करने में पत्र का बड़ा भारी उपयोग है।

भूदान पत्र का यह सामर्थ्य हम ख्याल में रखकर हर एक देहात में कम-से-कम एक ग्राहक अवश्य बनाये। स्कूल, ग्राम-पंचायत, कार्यकर्ता, श्रीमन्त या गरीबों से चढ़ा इकट्ठा करके भी भूदान-पत्र को गाव-गाव में शुरू करना आसान है। वर्धा तहसील में ३०० देहात हैं। वहाँ भूदान-पत्र के ५२७ ग्राहक बने। यह सब जगह हो सकता है। जिस गाव में भूदान-पत्र नहीं गया उस गाव में हमारा काम ही नहीं हुआ ऐसा मानना चाहिये। भूदान-पत्र को शिक्षक या कार्यकर्ता द्वारा सामूहिक रूप से गाव में पढ़ने का भी हम इतजाम करें। इसके साथ साहित्य भी खूब बिकना चाहिए।

(६) भूदान के साथ-साथ संपत्तिदान को भी उतना ही महत्व देना चाहिये। जितने भूदान-पत्र मिले उतने ही संपत्तिदान पत्र मिलने चाहिये। भूदान और संपत्तिदान, दोनों दानपत्र ठीकसे भर लेना चाहिये। संपत्तिदान की रकम हमें लेनी नहीं है। माधनदान प्राप्त करने समय संपत्तिदान पर अक्सर असर न पड़े ऐसी सावधानी हम रखें।

(७) कार्यकर्ता निर्माण

हम ही नातिकारी हैं ऐसा कार्यकर्ता न समझें। देहात में काफी अच्छे कार्यकर्ता पड़े हैं जिनकी हमको पहचान नहीं रहे हैं। हमारा काम केवल भूदान मागना, विचार प्रचार करना ही

नहीं है। गाव-गाव में जो निष्क्रिय सज्जन पड़े हैं उनको जगाना और उन्हें इस काम के लिये प्रेरित करना है। देहात में काफी हृदयवान लोग पड़े हैं। हमारा काम ऐसे हृदयवान, दिल वाले आदमी को खोज करना, उसे यह विचार समझाना, उसके आधार पर गावमें काम खड़ा करना है। उस गाव में काम शुरू करके आगे के काम का बोझ उसपर डालना है। ऐसे कार्यकर्ता को हम गांव में साथ तो रखेंगे ही, लेकिन हमारे साप्ताहिक पदयात्रा में दूसरे गाव में भी उसे साथ ले चलेंगे। उसका परिचय बढ़ेगा। काम करने की शिक्षा उसे मिलेगी। उसके साथ हम चर्चा करें। उसे साहित्य पढ़ने को दें। और धीरे-धीरे समयदान देने के लिये उसे प्रेरित करें। और जहां साप्ताहिक समारोह का अन्तिम दिन का गाव होगा वहां उसे लाकर समयदान की घोषणा उसके मुखसे करावें।

(८) हमारा कार्यक्रम छोटे-मोटे मुद्दार का या विकास का कार्यक्रम नहीं है। इसलिये हम हमारी शक्ति इधर-उधर छोटे-छोटे सवालियों में और कामों में न खर्च करें। जनता को भी हम मुद्दार और क्रांति का भेद समझावें और इस देश का सवाल क्रांतिसे ही कैसे हल होगा यह बतावें।

ऐसा अजातशत्रु, आस्तिक, आत्मविश्वास वाला लगनशील और तनज्ज कार्यकर्ता हरअेक गाव में यशस्वी होकर ही आता है अंमा आजतक का अनुभव है।

पैरोका सबल, वाणीका रसाल और अतःकरण का निमंल पदयात्री धूमता रहे भगवान् अुमके आगे और पीछे खड़ा है, ऐसा विनोबाजी का सबको आशिर्वचन है।

स्थानीय परिस्थिति तथा कार्यकर्ताओं का स्तर देखकर इसमें कई व्यावहारिक और तात्विक सूचनाएँ जोड़ी जा सकती हैं।

जो सर्व सामान्य बातें हैं वह उपर आचुकी हैं। देहात में अनुका काम सफल और आसान कैसे होगा इसका पूरा मार्गदर्शन संयोजक न करना चाहिये जिससे निकलते समय अनुम उत्साह और आत्मविश्वास पैदा हो।



५ इस तंत्रका क्रमशः विकास

मध्यप्रदेश में २२ जिले हैं। कार्य की सुविधा से उन्हें पाँच भागों में बाँटा गया है। नागपुर विभाग में चार जिले दिये गये हैं। इन्हीं चार जिले के कार्यकर्ताओं ने अकेले-अकेले अपने-अपने तहसील में घूमने के बजाय सामूहिक पदयात्रा निकालने का तय किया। और काजीवरम् सम्मेलनतक सब देहातों में सदेश पहुँचाने का निश्चय किया। फलस्वरूप आठ माह लगातार अखंड सामूहिक पदयात्रा का सिलसिला जारी रहा और १० तहसीलों में सामूहिक पदयात्राओं का आयोजन किया गया। इस कल्पना का धीरे-धीरे किस प्रकार विकास होता गया इसका चित्र नीचे दिया जा रहा है।

(१) अर्थ स्वावलंबी रचना

सामूहिक पदयात्रा के प्रवास-खर्च, भोजन खर्च प्रचार कार्य और समारोह आदि के लिये करीब १ हजार रुपये खर्च आता है। मध्यप्रदेश भूदान समिति ने केवल ३०० रुपये ही खर्च देने की

जिम्मेवारी ली। वचा हुआ खर्च जनतासे ही निकालने का सोचा गया। इसलिये हमने तय किया जिस गाव के लोग भोजन खर्च एवं समारोह का खर्च करने के लिये तैयार होंगे उसी गाव में शिविर और समारोह लेंगे। और भोजन के लिये आज तक कहीं भी हमको अकेले पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी शुरू-शुरू में मध्यप्रदेश भूदान समिति को पैसा देना पड़ा। अन्ही दिनों निधिमुक्ति की बात जोरो से चली, और समिति के पास पैसों की कमी थी; इसलिये सब पैसा जनतासे ही लेना चाहिए ऐसा निश्चय हुआ। आवश्यकतासे अकल सूझी। और आखिरी दिनों में भूदान समिति पैसा दे तो भी हम अब नहीं लेंगे ऐसा तय हुआ। आखरी दो सामूहिक पदयात्राओं की हालत यह है कि जनतासे ही पूरा पैसा हमको मिला।

(२) राजनैतिक संस्थाओं से संबंध

शुरू-शुरू में राजनैतिक पक्षों के बिना हमारे लिए काम करना कठिन मालूम होता था। जिस तहसील में यह सामूहिक पदयात्रा का कार्यक्रम होता था वहां के राजनैतिक कार्यकर्तों को ही हस्ताक्षर से जनता को भूदान में हिस्सा लेने की अपील निकालते थे। पॅम्फ्लेट्स छपते थे। अंकों की चिट्ठियाँ लेकर देहातों में जाते थे। लेकिन जिनके दस्तखत हमारे पत्रों पर रहते थे उनमें से बहुतांश भूदान के लिये बाहर नहीं निकलते थे। कई खुद दान तक नहीं देते थे। जब सप्ताह में मिले दान का नतीजा जाहिर किया जाता था तब यह हमारे ही बदौलत हुवा, इसका बहुत सारा श्रेय हमको ही है, इसका लिखित मर्टीफिकेट हमको दो ऐमा कुछ कहते थे। पेपरो में जाहिर करते थे और अपनी पार्टों

ऑफिस को रिपोर्ट भेजते थे कि यह सब काम हमने ही किया । इससे अन्य पार्टीवालों में बुरी प्रतिभिया होती थी ।

इससे भूदान कार्यकर्ताओं को बहुत अटपटासा लगता था । जनता को भी बुरा लगता था । राजनैतिक पक्षके ही कुछ सज्जन कार्यकर्ता कहने लगे की काम तो आप करते हैं, नाम हमारा होता है । हमारा तो जनता पर नैतिक प्रभाव नहीं है । बल्कि आप भूदान कार्यकर्ताओं के प्रति जनता में आदर बढ़ रहा है । ऐसी हालत में भूदान समिति और कार्यकर्ताओं को अपने नाम पर ही सब चलाना चाहिये । बात सच थी । लेकिन उनको टाल कर काम करेंगे तो रास्ते में रुकावटें आयेंगी यह डर मन में था । इसलिये हिम्मत नहीं हो रही थी । दो-तीन सप्ताह यही बात चली । धीरे-धीरे भूदान कार्यकर्ताओं की संख्या और क्षमता बढ़ी, जनता उन्हें जानने लगी । अब जो कोई भूदान में हिस्सा लेता है, पदयात्रा के लिये निकलता है, और भूदान के बारे में जिसके दिल में हमदर्दी है ऐसे ही नेता को शिविर या सम्मेलन में भाषण के लिये बुलाते हैं । हस्ताक्षर भी भूदान कार्यकर्ताओं के ही रहते हैं । हर एक का सहकार हम व्यक्तिगत रूप से मागते हैं । नतीजा यह निकला कि भूदान कार्य की इज्जत बढ़ी है और कार्यकर्ताओं की शक्ति भी बढ़ी है ।

३ भूदान और संपत्तिदान पर समान जोर

प्रथम जो सामूहिक पदयात्रा हुई उस वक्त संपत्तिदान का विचार कार्यकर्ताओं तक ही सीमित था । बीच में पूजाजी का देहात हो गया तब कार्यकर्ताओं ने संपत्तिदान की ओर अधिक ख्याल देना

शुरू किया। कुछ दानपत्र मिलने लगे। भूदान संपत्तिदान आंदोलन यह आर्थिक समता के सिक्के के दो पहलू हैं, एक हमारे बिना अधूरा है, इसलिये दोनों को समान भूमिका पर लाने का हमारे कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया। भूदान आंदोलन को निधिमुक्त बनाने का विचार देश में शुरू हुआ। वर्धा तहसील वाले एक सालसे यह कर रहे थे। इसलिये निश्चय के साथ कार्यकर्ता संपत्तिदान के काम में जुट गये। नतीजा यह हुआ कि जनता ने भी इस विचार का स्वागत किया और अब भूदान-संपत्तिदान के दानपत्र लगभग बराबरी से मिलने लगे। इस संपत्तिदान से कुछ जिले अब निधिमुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े रहने की स्थिति में आगये हैं।

(४) जन-आंदोलन का निर्माण—

चार जिलों के कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक तहसील में टोलियाँ निकालकर अकेले-अकेले हफ्तेमें प्रचार करना तो ठीक था। लेकिन जो जमीन मिली उसका बटवारा कैसे हो? वाद में वहाँ के आंदोलन को कौन चलाये? इसका जवाब हमारे पास नहीं था। सोचते थे, भूदान-समिति कोई वैतनिक कार्यकर्ता नियुक्त करके आगे के काम को चलायेगी। लेकिन इससे पूरा काम होने वाला नहीं है। जन-आंदोलन तो हरगिज नहीं होगा यह ख्याल में आया। यदि उस तहसील के कार्यकर्ता सप्ताह में आसकते हैं, तो क्या वे ५७ तक समय नहीं देंगे? क्या उनमें से कोई जीवनदान नहीं देगा? क्या नहीं आवाहन किया जाय? क्या हम विनोबाजी हैं या जयप्रकाशजी जैसे आदरणीय नेता हैं कि हमारे ऊपर विश्वास रखकर लोग इतना त्याग करने के लिये नामने आयेगे? यह नहीं बताना ही बरबार होना था। वादमें मकोच मिट गया।

सभा में आवाहन करना शुरू हुआ। जवाब मिला। समयदान की घोषणाएँ होने लगी। इससे हिम्मत बढ़ी। अब हर सप्ताह के आखरी समारोह में ऐसा आवाहन विश्वास के साथ किया जाता है और हरअेक तहसील में कार्यकर्ता समय दे रहे हैं। गोदिया के शिविर में पहले ही दिन १० कार्यकर्ता समयदान देने लगे। उनको समझाना पडा कि सप्ताह भर काम करके निश्चय पक्का करो और फिर समयदान दो। समाप्ति के दिन वहाँ के ३० कार्यकर्ता-ओने समयदान दिया। किसीको तनख्वाह या ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। कई कार्यकर्ता कइ माह से हमारे साथ लगातार घूम रहे हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं। घर जाते हैं तो छट्टी लेकर जाते हैं और समयपर आने का ध्यान रखते हैं। एक ने छट्टी ने भी भूदानपत्र प्राप्त किये। कोई अनुशासन की कार्रवाई अनुपर होनेका डर नहीं है। लेकिन क्रांति की पुकार समझकर शक्तिभर काम कर रहे हैं।

अब जो कार्यकर्ता देहात में भूदान-पद-यात्रा निकालने के लिये जाते हैं वे भूदान-संपत्तिदानपत्र तो लाने की चिंता रखते ही हैं लेकिन साथ-साथ समयदानी कार्यकर्ता तैयार करने का भी प्रयत्न करते हैं।

इन समयदानी कार्यकर्ताओं में सब तरह के लोग हैं। रचनात्मक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, राजनैतिक कार्यकर्ता, जवान, बूढ़े, और सरकारी नौकरी ठुकराने वाले लोग हैं।

नागपुर विभाग के इन कार्यकर्ताओं ने १० तहसीलों में मासू-हक पदयानाएँ निकालकर आठ माह में ३००० देहातों में सदेग पहुँचाया। फलस्वरूप ४००० में ऊपर दाताओं ने १०००० अेकड़ से अधिक भूदान दिया। २००० से अधिक दाताओं ने संपत्तिदान

दिया । भूदानपत्र के ५०० से ऊपर ग्राहक बने । ५००० रूपयो का साहित्य बेचा । १०० से अधिक कार्यकर्ताओं ने समयदान दिया ।

पूर्वतैयारी की जो आदर्श कल्पना थी उसके मुताबिक हम सब जगह काम नहीं कर सके । क्योंकि काजीवरम् सम्मेलन तक हर गाव में हमें जाना ही है ऐसा कार्यकर्ताओं का नियम था । इसलिये पूर्वतैयारी के लिये हर तहसील में पूरा समय नहीं मिला और स्थानीय लोगों के लिये समय अनुकूल न रहने पर भी लगातार पदयात्रा चलाने के लिए कई स्थानों पर पदयात्राएँ ली ।

कुछ तहसीलों में १ माह की पूर्वतैयारी करके काम हुआ । ऐसा काम प्रात के हर विभाग में हुआ । नतीजा बहुत अच्छा आया । उदाहरण के लिये हम तीन विभागों की तीन निम्न तहसीलों को ले -

तहसील का नाम	दातासंख्या	भूमिप्राप्ति (अेकड)
(१) पुसद	१६००	८५००
(२) जबलपुर	१३००	४०००
(३) आर्वी	११००	३२००

जहाँ जल्दी-जल्दी ८-१० दिन की पूर्वतैयारी करके काम किया गया और भूमिप्राप्ति के वजाय गांव-गाव सदेश पहुंचाने का उद्देश्य प्रमुख माना गया वहाँ का नतीजा भी आशाप्रद रहा । नागपुर विभाग के ९ तहसीलों में ऐसा काम हुआ और कहीं भी ५०० अेकड से कम जमीन नहीं मिली । इसलिये अधिक पूर्वतैयारी करे तो अधिक फल मिलता है, लेकिन साधारण पूर्वतैयारी से भी सामूहिक पदयात्रा के तंत्र से आशादायक ही नतीजा आता है । प्राप्ति के साथ-साथ वितरण और सामूहिक पदयात्राओं में

भूमिपुत्रों का सहकार लेने का सफल प्रयास कुछ जगह किया गया। इसको आमरूप देनेका प्रयत्न चल रहा है।

मध्यप्रदेश में प्रथम प्रातः के सब कार्यकर्ताओं की शक्ति लगाकर केवल ९ टोलिया निकली थी। अब मध्यप्रदेश में कम-से-कम अेकही समयपर २०० टोलिया निकल सकती हैं।



६. सामूहिक पदयात्राओं का उपयोग

मध्यप्रदेश में जहा के कार्यकर्ता एक जगह आकर साथ-साथ काम करते गये वहा-वहा सामूहिक पदयात्राये चली। जहा की पूर्वतयारी ठीक थी वहा नतीजे अच्छे निकले और जहा के कार्यकर्ताओं ने पूर्वतयारी को गौण समझा वे असफल रहे।

इसलिये सामूहिक पदयात्रा ठीक से मगठित करने के लिये दो बातें जरूरी हैं .--

(१) प्रांत का चार या पाच जिलों के विभाग अलग-अलग बनाकर वहा के कार्यकर्ताओं का साथ-साथ काम करना।

(२) पूर्वतयारी का और पदयात्रा के तंत्र का ठीक से इस्तेमाल करने के लिये इस तंत्र का ज्ञान और अनुभव सघटकों को प्राप्त करके खुद को शिक्षित करना।

सामूहिक पदयात्रा कार्यक्रम लगातार एक ममान ही चलता रहना जरूरी नहीं है। लेकिन प्रारम्भ में जनता में इस विचार का

व्यापक प्रचार करने के लिये, काम को बढ़ावा देने के लिये और नये कार्यकर्ता प्राप्त करने के लिये इसकी निहायत जरूरत है। प्रथम कदम के बतौर यह एक अच्छा तरीका है।

‘सब शरण गच्छामि’ यह मंत्र हमें अमल में लाना है। एक बार तहसील में इसका प्रयोग हो जाने के बाद चार-पाच जिलों के कार्यकर्ता को वार-वार बहा आने की जरूरत नहीं है। नये कार्यकर्ता तैयार हो जाने के बाद एकेक जिले के कार्यकर्ता भी इस तरह की पदयात्राएँ निकाल सकते हैं। बाद में वितरण केलिये कार्यकर्ता सामूहिक रूपमें या अकेले-अकेले भी निकल सकते हैं। एक वार कार्यकर्ता का आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ने पर और जनता का सहयोग मिलने पर तो फिर गाव-गाव में स्वतंत्र रूप से काम चलेगा। लेकिन काम को गति देने के लिये पहले धक्के के बतौर सामूहिक पदयात्रा एक अच्छा तरीका है।



७ ‘एक दिन में क्रांति’ की पूर्ण तैयारी

हमने अभी तक देखा कि भारत के एक प्रान्त में यह मुख्यतया चला है। अब सारे भारत में इस प्रकार से काम करने की योजना बन रही है।

हमने १९५२ में सेवापुरी में तय किया था कि ५ लाख गावों में २५ लाख एकड़ जमीन प्राप्त हो। २५ लाख एकड़ जमीन तो मिली, उससे भी अधिक मिली, लेकिन ५ लाख गावों से हम भूमिदान न ला सके। क्योंकि हम ५ लाख गावों में

पहुच ही नहीं पाए। यानी भारत के सब गावों में हम एकबार भी अभी नहीं पहुँचे हैं। और हमें १९५७ में क्रांति का पहिला कदम पूर्ण करना है, ऐसा हम मानते हैं। यह कैसे होगा? अतः एक बार गाव-गाव जाकर सदेश पहुँचाना निहायत जरूरी है।

सदेश पहुँचाने का काम कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूपसे अकेले भी कर सकते हैं। वह भी अभी तक नहीं हुआ है। मुश्किल से ५ लाख गावों में से २ लाख गावों में हम पहुँच पाए हैं। वह क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। केवल घूमने से क्या लाभ यह भी उन्हें लगना है। इसलिए घूमने के साथ-साथ यदि जमीन मिले, जन्तुपर एव अन्य कार्यकर्ताओं पर भूदान कार्य का प्रभाव पड़ सके ऐसा तरीका खोजना चाहिए। सौभाग्य से ऐसा तरीका सामूहिक पदयात्रा के रूप में सामने आया है। इससे केवल गाव-गाव सदेश ही नहीं पहुँचाया जाता है, बल्कि जमीन भी मिलती है, और ऊपर बताया हुआ अन्य नतीजे भी सामने आते हैं। यदि हम इस प्रभावकारी तरीके का प्रयोग भारतभर करते हैं तो क्या होगा?

कल्पना ही करनी हो तो कल्पना पूरी करनी चाहिये। मध्य-प्रदेश में मामूली पूर्वतयारी से हर तहसील में १००० एकड़ औसत जमीन मिली है। उस हिसाब से भारतभर में १५ लाख एकर सामान्य कार्यकर्ताओं द्वारा भूमिप्राप्ति सकती है। विनोबाजी, जयप्रकाशजी, बाबा राघवदासजी, रविशंकर महाराज आदिके द्वारा मिलने वाली जमीन तो अलग ही है। संपत्तिदान पत्रों का आजका कुछ हजारों का आकड़ा लाखों में जायगा। आजके कार्यकर्ताओं में कम-से-कम तिगुनी वृद्धि होगी। सब कार्यकर्ताओं को तात्त्विक एव व्यावहारिक भूदानयज्ञ की शिक्षा का बढ़िया मौका मिलेगा।

और गाव-गाव तो सदेश फैलेगा ही। आज डेढ़ हजार कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इनमें से ३०० कार्यकर्ताओं को ऑफिस काम के लिए एवं सगठन के लिए रखा जाय तो भी १२०० कार्यकर्ता मिलते हैं। आरंभ में ही इतनी सख्या है। यह सख्या प्रति सप्ताह सामूहिक पदयात्रा के तत्र के कारण बढ़ेगी। यानी १२०० टोलिया तो फौरन निकाली जा सकती है। इन १२०० व्यक्तियों को इस तत्र में प्रशिक्षित करने का काम अकेले माह के भीतर ५, ६, ट्रेनिंग कैम्पस लेकर पूरा किया जा सकता है। या प्रथम हर प्रात के २-३ कार्यकर्ताओं को लेकर ५०-६० व्यक्तियों का एक ट्रेनिंग कैंप चले। बाद में ये भाई अपने-अपने प्रात के कार्यकर्ताओं को इसमें शिक्षित कर सकते हैं।

यदि माह में २ पदयात्राएँ निकाली जाय और बचा हुआ समय पूर्वतैयारी एवं अन्य कामों में दिया जाय तो भी सालभर में २४ पदयात्राएँ निकल सकती हैं। एक सप्ताह में १२ छोटे-मोटे गावों में हम जा सकते हैं। इस प्रकार $१२०० \times २४ \times १२$ यानी करीब-करीब ३॥ लाख गावों में हम जा सकते हैं। उत्तरोत्तर इन टोलियों की सख्या बढ़नी जावेगी। अतः हम १ साल के भीतर पांच लाख गावों में पहुँच सकते हैं।

ऐसा करने से हर गाव में भूदानयज्ञ का सदेश पहुँचेगा, साहित्य जावेगा, भूदानपत्र के ग्राहक बनेंगे, बहुतांश गावों में से भूदान मिलेगा, सपत्तिदान मिलेगा, हर तहसील में कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा, कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे, और अनेक कार्यकर्ताओं को पूरा, एवं प्रभावकारी काम मिलेगा। साथ में काम करने से कार्यकर्ताओं का भाईचारा बढ़ेगा, गलतफहमियाँ दूर होंगी, मनमुटाव हटेगा। इसके गणसेवकत्व निर्माण होगा। केवल इतना ही लाभ

होता तो भी वह कम नहीं था। अलावा इनके गांव-गांव के लोगों को हम १९५७ की प्राति का, जमीन बांटने की प्रक्रिया का ज्ञान दे नकेगे। गांव गांव सेक्टर मिल नकेगे। इसीमें ने 'एक दिन में प्राति' का यिनोवा का सपना मूर्त रूप में वा तबना हं।

—★★—

तहसील भूदान सप्ताह

देश की नैतिकता, सहृदयता और सद्भावना बढ़ाने, जमीन और सम्पत्ति का वितरण करके समानता कायम करने एवं इस प्रकार के सहकार्य की नींव पर काम करने वाले को अन्न तथा खाने वाले को काम देने के लिये एक नया सर्वोदय समाज निर्माण करने के हेतु भूदान यज्ञ आन्दोलन ५ साल से हमारे देश में पूज्य विनोबाद्वारा चल रहा है। इस आन्दोलन में अभी तक ४४ लाख एकड़ जमीन भूमिहीन भूमि मजदूरों को वितरण करने के लिये प्राप्त हुई है। ११०० ग्रामवासियों ने अपने गांव की पूरी जमीन इस यज्ञ में अर्पण कर दी। अभी तक प्राप्त लाखों एकड़ जमीन का वितरण देश भर में हो रहा है।

भूमिदान आन्दोलन के साथ ही सम्पत्तिदान आन्दोलन को भी गति प्राप्त हुई है और इस प्रकार बुद्धिदान, जीवनदान, श्रमदान, समयदान, साधनदान एवं ग्रामदान इत्यादि आन्दोलन भी शुरू हुये हैं। अहिंसा और शान्ति द्वारा जिस तरह से हमने स्वराज्य प्राप्त किया उसी प्रकार हम आर्थिक व सामाजिक समता इसी मार्ग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का आत्म विश्वास इन आन्दोलनों के शुरू होने के पश्चात लोगों में बढ़ रहा है। इन आन्दोलनों को सभी राजकीय पक्षों का समर्थन प्राप्त हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री टेंबरभाई ने समस्त कांग्रेस कमेटियों को भूदान-कार्य करने के लिये आदेश भी दिया

है। श्री जयप्रकाश जी ने तो इस कार्य के लिये अपना जीवनदान दिया है। अब इसकी पूर्ति की जिम्मेदारी जनता की है।

हर तरह के अपने मतभेदों को अलग रख कर हम इस आन्दोलन को सन ५७ तक यशस्वी बनाने के लिये जिम्मेवारी के साथ इस काम में लग जाय।

गोदिया तहसील में अभी तक १००० एकड़ जमीन प्राप्त हुई है, जिसमें से ६०० एकड़ जमीन का वितरण हो चुका है। भूमिहीन भूमि मजदूरों की सरया को देखते हुये यह जमीन बहुत कम है। अन्य तहसीलों में सामूहिक पदयात्रा में काफी जमीन प्राप्त हुई है। इस प्रकार की पदयात्रा हमारी गोदिया तहसील में ता. २६ फरवरी से लेकर ४ मार्च तक भूदान समिति ने आयोजित की है।

पदयात्रा के प्रारम्भ के पहले ता. २४ तथा २५ फरवरी को कार्यकर्ताओं का शिविर गोदिया में होगा। इसके पश्चात् ३५ से ४० टोलिया सम्पूर्ण तहसील के प्रत्येक गाव में जाकर इस आन्दोलन का प्रचार करेगी एवं अधिक-से-अधिक भूदान, सम्पत्तिदान, साधनदान इत्यादि प्राप्त करेगी। इस शिविर का समारोह ता. ४ मार्च को तिरोडा में होगा। शिविर के उद्घाटन एवं समारोह के लिये बाहर से नेताओं को बुलाने का आयोजन किया जा रहा है।

गोदिया तहसील के सभी भाईयो से विनती है कि हमारे देश की आर्थिक व सामाजिक विपमता दूर करने के लिये सन्त विनोबा जी ने जो यह आन्दोलन शुरु किया है इसमें अपना हिस्सा

सन्त विनोबा जी का कहना है कि सम्पन्न काश्तकारों को अपने निर्वाह के लिए जरूरी जमीन रखकर बाकी की दान कर देना चाहिये। मध्यम श्रेणी के काश्तकारों ने अपना छटवा हिस्सा देना चाहिये। एवं गरीब काश्तकारों को भी नैवेद्य समझ कर कुछ हिस्सा देना चाहिये। जिन भाईयों के पास जमीन नहीं है वे सम्पत्तिदान दें।

भवदीय

संयोजक, भूदान समिति



परिशिष्ट नं. २

भूमिदान तथा संपत्तिदान के सम्बन्ध में नेताओं के अभिप्राय

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी:—

मीरावेन ने बापूजी से फिर पूछा कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद जमीन की व्यवस्था कैसी रहेगी? बापूजी ने कहा “जमीन सरकार की होगी। मैं यही मानकर चलता हूँ कि राज्यसत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में होगी जो इस आदर्श पर विश्वास रखते हों। बहुत सारे जमींदार अपनी खुशी से जमीन छोड़ देंगे। जो नहीं देंगे उनके लिये कानून बनेगा।”

भूदान यज्ञ के प्रवर्तक सन्त विनोबा:—

मेरे भारतवासी भाइयो, आपते मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रजासूय-यज्ञ में अपना हिस्सा अर्पण करे और इस काम को सफल करके आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा की प्रतिष्ठापना करे। हमारा विचार समझे बगैर यदि कोई हमें जमीन देगा तो हमें दुःख होगा। किसी भी ढंग से जमीन इकट्ठा करना यह हमारा हेतु नहीं है। हमें सर्वोदय की वृत्ति का निर्माण करना है। आज हिंदुस्थान में सर्वोदय समाज नहीं है। सग्रह बढ़ाने का पागलपन लोगों पर सवार है। इतनी सग्रहनिष्ठा होने पर भी लोग कितना सग्रह कर पाये हैं? आज के सग्रही समाज में हर आदमी पीछे ढाई छटाक दूध आता है। मेरे असग्रही समाज में हर आदमी के लिये एक सेर दूध रहेगा। अनाज इतना रहेगा कि उसकी कीमत ही न रहेगी। अनाज की कीमत ही क्या? कोई भूखा है तो लोग उसे खाना खिलायेंगे लेकिन अनाज बोई बेचेगा नहीं। डालडा खाने वाले को अच्छा घी खाने को मिलेगा, क्योंकि समाज में घी खूब रहेगा। तरकारी भरपूर रहेगी। इसलिये गाव का एक कुटुम्ब बनाओ तो लक्ष्मी बढेगी। इसलिये सब मुझे दान दे यह मेरी इच्छा है।

भूदान यज्ञ के लिये जीवनदान देनेवाले श्री जयप्रकाशनारायण:—

यह सारा महान एव उदात्त कार्य हम पुकार रहा है। हमारी निष्ठा एव पुरुषार्थ के लिये इससे अच्छे मौके की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हम करोड़ों हैं। इन करोड़ों लोगों में मे क्या कुछ हजार भी स्त्री-पुरुष ऐसे नहीं निकलेंगे जो इतने त्यागी, इतने साहसी, इतनी दूर दृष्टि वाले हों, जो इस ऐतिहा-

सिक आन्दोलन में खुद को समर्पण करेंगे ? इस सवाल के जवाब पर दुनिया का भविष्य कम-से-कम भारत का भविष्य अवलंबित है ।

अंग्रेजी राज्य में स्फूर्तिशाली नौजवान सरकारी नौकरियों म जाने से इंकार करते थे । जिन लोगों के मन में राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वे समझ ले कि विधान सभा या सरकार भी राष्ट्र निर्माण का काम नहीं कर सकती । नौजवान अपना=अपना हृदय टटोलें । क्या वे आराम की जिन्दगी पसन्द करते हैं ? क्या वे राजनैतिक, सामाजिक प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं ? जो ऐसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं; वे आखिर जनता पर ही सवार होते हैं । मुझे पूरी आशा है कि इस देश में बहुत-से ऐसे युवक युवतियां हैं जो एक महान ध्येय के लिये कष्टमय एवं संकटमय जीवन का आलिंगन करने को तैयार हैं । यह शांत बैठने का समय नहीं है । मुहूर्त टल रहा है, कल बहुत देर हो सकती है ।

राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद:—

हम इस बात को हमेशा ट्याल मे रखे कि देश मे जो कुछ होता है उसके तरफ महात्मा जी की आत्मा ऊपरसे देख रही है । उनके अधूरे रहे काम को विनोबा जी आगे बढ़ा रहे हैं ।.....
..... भूमिहीन गरीबों के लिये लोग विनोबा जी के भूमिदान यज्ञ में जमीन देकर उस महान कार्य मे सक्रीय निष्ठा बतावे ऐसी मेरी सब लोगों से विनय है ।

प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू:—

आचार्य विनोबा ने यह एक असामान्य आन्दोलन शुरू किया है । याद रहे कि यह आन्दोलन एक क्रांतिकारी आन्दोलन

हैं। मैं भूदान आन्दोलन को अधिक-से-अधिक महत्व देता हूँ। इस काम में हर एक आदमी और दल को बिना किसी झगड़े या किसी दल या पार्टी के लिये उससे फायदा उठाने की इच्छा के सहयोग की भावना से मदद देनी चाहिये। यह किसी एक दल का आंदोलन नहीं है और सभी लोगों को, चाहे उनका किसी भी दलसे संबंध क्यों न हो, इसमें हिस्सा लेना चाहिये।



परिशिष्ट नं. ३

भूदान यज्ञ में मिली जमीन का बंटवारा कैसे ?

सबै भूमि गोपाल की
सब संपत्ति रघुपति के आदि

जमीन किसको मिलेगी—

१. भूदान में मिली जमीन मजदूरों को बिना पैसा लिये बांटते हैं। भूदान यज्ञ में जिस गांव की जमीन मिली हो वने जहाँ तक उसी गांव वाले भूमिहीन मजदूरों को देते हैं। अगर उम गांव का कोई योग्य व्यक्ति न मिले अथवा पड़ोस के गांव वाले को मुविधा हो तो उनको दी जाती है।

२. जमीन खेती के लिये ऐसे भूमिहीनों को देते हैं जिनके पास दूसरा कोई धंदा व्यापार नहीं है। जो जमीन की काश्त स्वयं करता है या जिनकी मेहनत करने की इच्छा है।

३. प्राप्त जमीन का कम-से-कम $\frac{1}{3}$ हिस्सा हरिजन या आदिवासी को बांटते हैं।

जमीन का बंटवारा कैसे ?

१. जिस गांव में वितरण करना हो उस गांव में कुछ रोज पहले और वितरण के दिन लोगों को डुग्गी द्वारा वितरण की सूचना दी जाती है।

२. भूमि-वितरण गांव वालों की सार्वजनिक सभा में होता है।

३. भूमिहीनों के अर्ज मुफ्त लिये जाते हैं। सभा में भी अर्ज लिये जाते हैं।

४. भूमि वितरण सर्व संमती से करने की कोशिश की जाती है। मतभेद की सुरत में चिठ्ठी डालकर निर्णय होता है।

कितनी जमीन

अच्छ परिवार को अधिक-से-अधिक—

(१) तरी जमीन ३ अकड़ तक

(२) खुष्की जमीन—

(अ) चावल क्षेत्र— ७ अकड़ तक

(आ) कपास, उज्जार, गेहूँ क्षेत्र (मैदानी) १० अकड़ तक

” ” ” ” (पठार) १५ अकड़

(ई) बिल्कूल हलकी जमीन (पथरीली

भाराखेरी वरली ढालू) २० अकड़ तक

भूदान में मिली जमीन—

(१) भूमिदान की जमीन जिसे मिली है उस भूमिधारी का हक उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों को मिलेगा । .

(२) वह जमीन बेच नहीं सकेगा या अपना हक हस्तांतर नहीं कर सकेगा ।

(३) वह दुसरे किसी को ठेके से या अन्य तरह से जमीन नहीं दे सकेगा ।

(४) वह दो वर्ष से अधिक समयतक जमीन पडती नहीं रखेगा ।

(५) वह लगान समयपर देगा ।

(जमीन वाटने का यह प्रमाण मध्यप्रदेश का है । अन्य प्रदेशों में जमीन को देखकर कम-जादा हो सकता है ।)



परिशिष्ट नं. ४

गरीबों भूमिदांति के सैनिक बनो.

बड़े जमीनदार और राजा महाराजाओं से भूदान में जमीन मांगना ठीक है । लेकिन गरीब किसानोंसे दान लेकर उन्हें अधिक गरीब क्यों बनाते हो ?

विनोवार्जी का जवाब

अनुसे तो मैं जमीन लेऊंगा ही । लेकिन हम सबसे जमीन मांगते हैं, जिसका मतलब यह नहीं है कि हम सबसे समान जमीन

मागते हैं। जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं, उनसे हम छोटा हिस्सा माँगते हैं। जो बड़े बड़े काश्तकार और जमींदार हैं उनसे तो हम कहते हैं कि आप अपने लिये थोड़ा-सा रख कर बाकी सारा दान दे दो। और जो विलकुल गरीब हैं उनसे तो हम प्रसाद के रूप में वे जो भी दे ग्रहण कर लेते हैं। हम जो गरीब से जमीन लेते हैं उसके चार कारण हैं।

अधिक गरीब के लिये त्याग

(१) आज समाज में सब से दुखी बेजमीन लोग हैं। उन की तुलना में गरीब किसान भी सुखी हैं। इसलिये आज समाज में जो सबसे ज्यादा दुखी हैं अक्सर लिये हर एक की थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिये। मेरे लिये पर्याप्त रोटी मेरे पास नहीं है, तो अगर कोई भूखा मेरे पास आजाय, तो मेरे पास जो भी कुछ है, उसमें से एक हिस्सा उस को देना मेरा कर्तव्य है। यह एक धर्म है। हम यही भावना समाज में लाना चाहते हैं।

आसक्ति का निराकरण

(२) आखिर हम सिखाना चाहते हैं कि जमीन पर किसी की मालिकी ही नहीं रहनी चाहिये। आज जैसे श्रीमान् अपने को अपनी जमीन का मालिक समझता है, वैसे गरीब भी उसकी थोड़ी सी जमीन का अपने को मालिक समझता है। दोनों खुदको जमीन का मालिक मानते हैं। हम दोनों को इस मालिकी की भावना से मुक्त करना चाहते हैं। जैसे प्यासे को पानी पिलाना अपना कर्तव्य है, वैसे ही जो जमीन मागता है, उसे जमीन देना भी अपना कर्तव्य है क्योंकि जमीन परमेश्वर की है।

नैतिक शक्ति निर्माण

(३) हम श्रीमानों से जमीन मांगें तो उसके लिये हमारा अनु पर असर भी होना चाहिये । लेकिन असर कैसे होगा ? हमारे पास क्या शक्ति है ? क्या हमारे पास पिस्तौल है ? पर हमारे पास न तो पिस्तौल है और न पिस्तौल की ताकत पर हमारा विश्वास ही है । असलिये हम नैतिक शक्ति निर्माण करना चाहते हैं । जब हजारों गरीब दान देगे तब नैतिक शक्ति पैदा होगी और उसका असर श्रीमानों पर होगा और अंसा ही भी रहा है । पहले श्रीमान लोग हमें टालते थे । परंतु अब हजारीबाग जिले में (बिहार) अनु लोगों ने मुझे कितनी जमीन दी ? उन्होंने अब जमीन क्यों दी ? इसीलिये कि जब दो सालतक गरीब लोगोंने हम पर दान की वर्षा की ।

सत्याग्रही सेना

(४) मैंने कभी बार कहा है कि हम तो हमारी सेना तैयार कर रहे हैं । ऊंच-नीचवाला भेद हमें खतम करना है और ऐसी सेना बनानी है, जिसके आधार पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं । जिन्होंने दान दिया होगा, या त्याग किया होगा, और जिन्होंने हमारे काम के साथ सहानुभूति बताई होगी, वे ही हमारे सैनिक बनेंगे । आगे कभी अगर श्रीमानों के दिल न खुले, तो हम अंक कदम और भी आगे बढ़ेंगे । और मजा ऐसी की श्रीमान भी इसी भी सेना के सैनिक बनेंगे ।

मेरा विश्वास है कि मेरी सेना ऐसी जबरदस्त साबित होगी कि उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा । “हुंकारेण्व घनुषः ।” तीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है । वैसे ही हमारे सेना के हुंकार से

ही काम हो जायेगा । जब लाखों गरीब लोग दान देगे, तो बिना लडाईं लडे काम हो जायेगा । भगवान् को जब गोवर्धन खडा करना था, तो उसने सब से कहा कि अपनी अपनी लाठी उसके नीचे लगाओ । यह एक जनशक्ति निर्माण करने की बात है, इसलिये हम गरीबों से दान लेते हैं ।



परिशिष्ट नं ५

शिविरका पाठ्यक्रम

- (१) भूदान आंदोलन की अनिवार्यता और देश के अन्य कार्यक्रमों से इस की विशेषता (क्रान्ति और सुधार में क्या फरक है)
- (२) भूदान आंदोलन का इतिहास, आंदोलन की व्यावहारिक जानकारी
- (३) कानून और क्रान्ति कानून से क्रान्ति क्यों नहीं होती?
- (४) सर्वोदय समाज का चित्र-भूदान यज्ञ अुसका प्रथम कदम (भूदान वास्तव व्यावहारिक जानकारी)
- (५) संपत्तिदान, साधनदान, श्रमदान
- (६) ग्रामदान
- (७) भूदान यज्ञ की लोक नीति-पक्षनिरपेक्षता
- (८) शासन निरपेक्ष समाज
- (९) भूदान अेव विश्वशांति
- (१०) शका समाधान
- (११) १९५७ तक समयदान, जीवनदान
- (१२) पदयात्रा वास्तव व्यावहारिक सूचनाएँ



कार्यकर्ता गांव में क्या करें ?

(१) हर गांव में आम सभा करनी चाहिये। सभा के लिये खुद डुग्गी देकर लोगों को निमंत्रण दे। सभा के पूर्व ही दो चार भाइयों से मिलकर उन्हें सभा में दान देने के लिये प्रवृत्त करें। सभा में दान मागना चाहिये।

(२) केवल विचार प्रचार पर सतोप नहीं मानना चाहिये। भूदान सपत्तिदान पत्र मिलने ही चाहिये। ऐसे दान-पत्र मिलना ही अच्छे विचार प्रचार का परिणाम हो सकता है।

(३) भूदान पत्र का ग्राहक हर एक गांव में ही ऐसा पूरा प्रयत्न करें। साथ साथ साहित्य विक्री करें।

(४) सभा के बाद गांव में घर घर जाकर दान मागना चाहिये।

(५) गांव के कार्यकर्ता और दाताओं को गांव में घूमते समय साथ लेना चाहिये। उन्हें अगले पड़ाव पर भी साथ लेने की कोशिश करें। जनता को सप्ताह के समारोह के लिये निर्मात्रित किया जाय। दान के साथ-साथ पूरा एव आशिक समय देने वाले कार्यकर्ता तैयार करना चाहिए।

(६) गांव में जिनसे मिले उनके वाक्य और गांव में भूमिहीन कितने हैं और जो काम गांव में सभा में हुवा उस वाक्य नोट बुक में अहवाल लिखना चाहिये।

(७) गांव में साहित्य या भूदान पत्र का सामूहिक वाचन हो ऐसा इंतजाम करने की कोशिश करें।

भूदान यज्ञ समिति

श्री. _____

भूदान यज्ञ में आपने गांव _____

मौ. नं. _____ तहसिल _____ जिला _____

की _____ अकड जमीन दान दी इसके लिये भूदान समिति आपकी आभारी है । यह जमीन बांटते समय तक उसकी जोत करना; लगान देना आदि जिम्मेवारी ट्रस्टी के नाते आप पर ही है । ~~जमीन बांटी नहीं जाती तब तक खेती में से जो उपज होगी वह आप रख सकते हैं ।~~

आपका

संयोजक

सामूहिक पदयात्रा का विवरण

सर्कल का नाम १	कितने गांव २	कितने गांवों में पदयात्रा की ३	कितने गांवों से भूदान प्राप्त हुआ ४

भूदान संख्या ५	अंकड ६	संपत्तिदाता ७	सालाना रकम ८	भूदान पत्र ग्राहक ९

साहित्य विक्री १०	कितने मिल पदयात्रा ११	सप्ताह में घुमने- वाले कार्यकर्ता- ओकी संख्या १२	टोली-नायक के हस्ताक्षर १३

टोली में सप्ताह में घुमने वाले कार्यकर्ताओं का नाम और पता :-

- (१)
- (२)
- (३)